मेरठ विकास प्राधिकरण

की

प्रथम बोर्ड बैठक

दिनाँक 7-12-76

का

कार्यवृत्त

दिनाँक 7-12-76 को आयुक्त कार्यालय, मेरठ में 12-00 बजे दिन में होने वाली बैठक की बिषय सूची इस प्रकार होगी :-

1- मेरठ विकास प्राधिकरण की कार्य प्रणाली।
2- प्रशासनिक संगठन आदि मसलों पर विचार।

दिनाँक 7-12-76 को मेरठ विकास प्राधिकरण की पहली बैठक आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ के कार्यालय में 12-00 बजे दिन में उपरोक्त बिषय सूची पर विचारार्थ बुलाई गयी जिसमें अधोलिखित सदस्य उपस्थित रहे :-

1- श्री त्रिभुवन प्रसाद, आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ। अध्यक्ष
2- श्री हौसिला प्रसाद वर्मा, प्रशासक, न०पा० मेरठ। उपाध्यक्ष
3- श्री भोलानाथ तिवारी, जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ। सदस्य
4- श्री अरुण कुमार पचौरी, सह० नगर नियोजक। सदस्य
5- श्री अमर नाथ अग्रवाल, अधि०अभि०, जलनिगम। सदस्य
6- श्री गिरीश चन्द्र, अति० आयुक्त। विशिष्ट अतिथि

मेरठ नगर के विकास के लिये उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-3 के अन्तर्गत मेरठ नगर पालिका की सीमा के बाहर चारों ओर आठ किलोमीटर की दूरी पर्यन्त आने वाले क्षेत्र (केन्टोमेन्ट व केन्द्रीय-सरकारी भूमि को छोडकर) उत्तर प्रदेश शासन विकास विभाग, अनुभाग-2 की अधिसूचना सं०- 1705/37-2-4-डी०ए०-72 दिनाँक 10 जून, 1976 द्वारा विकास क्षेत्र घोषित किया गया है और उसके लिये विकास प्राधिकरण का गठन उक्त अधिनियम की धारा-4 के अन्तर्गत जारी अधिसूचना सं०-6218/37-2-4-डी०ए०/72 दिनाँक 3-11-76 द्वारा किया गया है जिसमें घोषित सदस्यों को इस बैठक का एजेन्डा अध्यक्ष के पत्र सं०-629/28-10/76-78 दिनाँक 3-12-76 द्वारा जारी किया गया था। बैठक में उपरोक्त सदस्यों की उपस्थिति में निम्नलिखित प्रस्ताव पारित हुए :-

1- सर्वप्रथम उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम की धारा-8 से 13 तक के प्राविधानों के अन्तर्गत मास्टर प्लान की स्थिति पर विचार किया

गया और यह निश्चय किया गया कि उ०प्र० रेगूलेशन ऑफ बिल्डिंग आपरेशन एक्ट 1958 के अन्तर्गत बनाये गये मास्टर प्लान को यह विकास प्राधिकरण यथावत अंगीकार करता है क्योंकि यह प्लान अधिनियम की धारा-59 (6) के अन्तर्गत अब भी वैध है और इस पर कन्ट्रोलिंग अथारिटी द्वारा समुचित विचार के बाद शासन को स्वीकृति हेतु भेजा जा चुका था । सह नियोजक ने सूचित किया कि उस प्लान पर सम्भवत: कुछ आपत्तियाँ आयी थी जिनका निराकरण होना शेष है । अत: यह निश्चय किया गया कि इन आपत्तियों की छानबीन सह नगर नियोजक, प्रशासक, नगर पालिका, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) सम्मिलित रुप से कर लें और इस पर अपनी संस्तुति अगली बैठक में पेश करें जिससे कि उ०प्र०अरबन प्लानिंग एण्ड डवलपमेन्ट (अमेन्डमेन्ट आर्डीनेन्स 1975 की धारा-10) के द्वारा संशोधित मूल अधिनियम की धारा- 59 के अन्तर्गत प्राप्त आधिकारों का प्रयोग करते हुए अध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण सम्बन्धित आपत्तियों को सूचित करके, यदि उन्हें सुनवाई का मौका न दिया गया हो, उनका निस्तारण कर दें ।

2- मुख्य नगर व ग्राम नियोजक के पत्र सं०- 10781/11/2/न०नि० 2/76 दिनाँक 21-9-75 पर भी विचार किया गया और यह निश्चय हुआ कि आपत्तियों के निस्तारण के समय इसका भी ध्यान रखा जाये ।

3- बैठक में भवनों आदि के नक्शे प्रस्तुत करने तथा उनके पास करने की प्रक्रिया पर विचार किया गया तथा यह तय पाया गया कि नये उपनियम व रेगूलेशन बनाकर और उनके अनुसार नक्शे पास करने पर विचार किया जायेगा तो इसमें काफी बिलम्ब होगा जिसके कारण कानून सम्मत निर्माण में रुकावट आयेगी और अनाधिकृत निर्माण को बढ़ावा मिलेगा अत: फिलहाल जो उपनियम व रेगूलेशन लागू हैं, उन्हें अधिनियम की धारा-59 (6) (ए) के प्राविधानों को देखते हुए यह प्राधिकरण अंगीकार करता है और यह निश्चय करता है कि जब तक इनमें संशोधन न किया जाये तब तक यह लागू रहेंगे ।

4- निर्माण कार्यो को अबाध रुप से चालू रखने के लिये यह भी संकल्प लिया गया कि उत्तर प्रदेश रेगूलेशन आफ बिल्डिंग आपरेशन एक्ट के

अन्तर्गत नियत प्राधिकारी ने नक्शा नवीसों को जो लाईसेंस जारी किये हैं उन्हें चालू बर्ष के अन्त तक जारी माना जाये और उनके द्वारा तैयार किये गये नक्शों को मान्यता देते हुए उन पर कार्यवाही की जाये ।

5- बैठक में यह भी संकल्प लिया गया कि चूँकि अरबन लैंड सीलिंग का मामला बहुत निकट रुप से मेरठ नगर के विकास से सम्बद्ध है अत: विकास प्राधिकरण की अगली बैठकों में नगर भूमि सीमारोपण विभाग के संयुक्त निदेशक (सक्षम अधिकारी) को आवश्यकतानुसार आमन्त्रित किया जाये जिससे कि अतिरिक्त घोषित भूमि के समुचित विकास के लिये जल्द से जल्द योजनाये बनायी जा सकें और प्राथमिकता निर्धारित की जा सके । इसी प्रकार जिस विभाग का मामला प्राधिकरण के सामने विचाराधीन हो उसके जोनल अथवा अन्य अधिकारी को बैठक में आमन्त्रित किया जाये जिससे कि क्षेत्र के समुचित विकास से समबन्धित विभाग के दृष्टिकोण को ध्यान में रखा जा सके । बैठक में यह निश्चय किया गया कि जब तक कोई अन्य व्यवस्था न की जाये कैश बुक के लिये व धन सम्बन्धी लेखे के लिये म्यूनिसिपल एक्ट के प्रपत्र ही यथा सम्भव काम में लाये जायें ।

6- प्राधिकरण के कार्य संचालन के लिये प्रशासनिक संगठन पर विचार किया गया और यह निश्चय किया गया कि जो कर्मचारी पहले नियत प्राधिकारी के अधीन कार्य करते थे उन्हीं से चालू बर्ष के अन्त तक विकास प्राधिकरण का काम भी लिया जाये क्योंकि विकास प्राधिकरण के लिये अभी कोई अनुदान प्राप्त नहीं हुआ है । जबकि आर०बी०ओ० एक्ट के क्रियान्वयन के लिये दक्ष स्टाफ का खर्चा व उसके लिये आवश्यक पैसा चालू बर्ष के लिये स्वीकृत है । यह भी निश्चय किया गया कि दिन प्रति दिन के काम में सह नगर नियोजक के कार्यालय की मदद ली जाये लेकिन इस समय धन की उपलब्धि न होने के कारण प्राधिकरण द्वारा किसी को मानदेय देने पर विचार नहीं किया जा सकता है ।

7- यह भी निश्चय किया गया कि विकास कार्य को बढ़ाने के लिये कुछ लाभप्रद प्रोजैक्ट तुरन्त छाँट लिये जाये, और उनके कार्यान्वयन के लिये

आवश्यक स्टाफ व धन उपलब्ध होने के स्रोत के बारे में अगली बैठक में विचार हेतु एक नोट सह नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत किया जाये ।

8- यह भी निश्चय किया गया कि जनसुविधा को देखते हुए विकास प्राधिकरण का कार्यालय नगरपालिका भवन में ही रखा जाये और इसके लिये आवश्यक प्रबन्ध व फर्नीचर आदि की व्यवस्था फिलहाल नगर पालिका से करा दी जाये क्योंकि अभी प्राधिकरण के पास कोई धन इस कार्य के लिये उपलब्ध नहीं हो सका है और जनसुविधा के लिये कार्यालय की तुरन्त स्थापना आवश्यक है । यह भी निश्चय किया गया कि दिन प्रति दिन के कार्य के संचालन के लिये जब तक पूर्णकालिक सचिव व लेखाधिकारी की नियुक्ति नहीं हो जाती है तब तक नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी से प्राधिकरण के सचिव व लेखाधिकारी से प्राधिकरण के लेखाधिकारी का कार्य उनके निर्धारित कार्य के अलावा लिया जाये और इसके लिये शासन की स्वीकृति प्राप्त करने के लिये पत्र भेजा जाये ।

यह भी निश्चय किया गया कि प्राधिकरण का लेखा सिडीकेट बैंक में रखा जाये ।

9- यह तय हुआ कि दीर्घकालीन योजना की स्कीम भी सह नगर नियोजक द्वारा बना ली जाये और जब तक प्राधिकरण अपना टाउन प्लानर अलग से नियुक्त नहीं करता है तब तक यह कार्य ग्राम व नगर नियोजक विभाग के स्थानीय सह नगर नियोजक से लिया जाये । सम्पूर्ण स्थिति का विवरण पत्र तैयार कर लिया जाये ।

10- जिला मजिस्ट्रेट ने सूचित किया कि कुछ मामलों में ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गयी थी कि सार्वजनिक भवनों को खाली करने के लिये उनके अध्यासियों को अपना निजी भवन बनाने के लिये अनुमति देना आवश्यक हो गया था । अत: प्रशासनिक आवश्यकताओं को देखते हुए उन्होंने अनुमति दे दी है जिसे स्वीकृति हेतु बैठक में प्रस्तुत किया गया यह संकल्प किया गया कि इन सभी मामलों पर उपाध्यक्ष नियमित करने की कार्यवाही करें ।

अन्त में यह निश्चय किया गया कि प्राधिकरण के उपरोक्त संकल्पों में से जिनका सम्बन्ध जन साधारण से है उनको तुरन्त स्थानीय समाचार पत्रों द्वारा प्रचारित करा दें ।

ह०/-
(हौसिला प्रसाद वर्मा)
उपाध्यक्ष
मेरठ विकास प्राधिकरण

ह०/-
(त्रिभुवन प्रसाद)
अध्यक्ष
मेरठ विकास प्राधिकरण